छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-17

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 2016</u>

(चैत्र 8, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, से 03 एवं 05 से 13 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 की प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती अनिला भेंडिया अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित एवं 26 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 एवं 12 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा बस्तर संभाग में पत्रकारों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने के संबंध में 36 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री अजय चंद्राकर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन का उत्तर सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

श्री भूपेश बघेल एवं श्री सत्यनारायण सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा कराने की मांग की।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.18 बजे स्थगित की जाकर 12.25 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन,
2. श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 13-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-76/2014/32, दिनांक 1 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अनुकूलन नियम, 2016,
3. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कंपनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताइसवां एवं अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे क्रमशः वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10, तथा
4. श्री अजय चन्द्राकर, गृह मंत्री ने कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे क्रमशः वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 **पटल पर रखे।**

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने आसंदी से आग्रह किया कि अगर स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य हो गया है तो किसी न किसी विषय पर चर्चा कराई जाये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 12.32 बजे स्थगित की जाकर 12.48 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने अन्य किसी माध्यम से इस विषय पर चर्चा कराए जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि नियमों को देखकर इसके बारे में निर्णय लेंगे।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री गिरवर जंघेल, दलेश्वर साहू, मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) डॉ.विमल चोपड़ा, सदस्य ने राजधानी रायपुर में वायु प्रदूषण होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढी हुई मानी गईं :-

(1) श्री गिरवर जंघेल
(1) श्री संतराम नेताम
(1) डॉ. खिलावन साहू

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

(5) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की अनुमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया जो इस प्रकार है :-

			निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 9 सन् 2016)	-	30 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016)	-	30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 11 सन् 2016)	-	30 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 12 सन् 2016)	-	30 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016)	-	30 मिनट

10. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 2, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 6, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 60, ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 25, जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 32,

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 71, विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या 65 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-1 पर सर्वश्री अरूण वोरा, अमरजीत भगत, बृहस्पत सिंह, दिलीप लहरिया, अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय मांग संख्या-6 पर सर्वश्री अमरजीत भगत, मोहन मरकाम, बृहस्पत सिंह, संतराम नेताम, दिलीप लहरिया, अमित अजीत जोगी, राजेन्द्र कुमार राय मांग संख्या-12 पर सर्वश्री जनकराम वर्मा, बृहस्पत सिंह, दिलीप लहरिया, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम, अमित अजीत जोगी, अरूण वोरा, मांग संख्या-25 पर सर्वश्री धनेन्द्र साहू, सियाराम कौशिक, अरूण वोरा, बृहस्पत सिंह, दिलीप लहरिया, अमित अजीत जोगी, मांग संख्या-65 पर श्री अमित अजीत जोगी के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, कवासी लखमा,

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री श्रीचंद सुंदरानी, अमरजीत भगत, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, मोहन मरकाम, डॉ.खिलावन साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री लालजीत सिंह राठिया, अवधेश सिंह चंदेल, बृहस्पत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतोष उपाध्याय, पारसनाथ राजवाड़े, (डॉ.) सनम जांगड़े, संतराम नेताम, चुन्नीलाल साहू(खल्लारी), सियाराम कौशिक, अशोक साहू, दलेश्वर साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामलाल चौहान, श्रवण मरकाम, जनकराम वर्मा, केशव चंद्रा, डॉ. विमल चोपड़ा, डॉ.(श्रीमती रेणु जोगी) श्री अमित अजीत जोगी,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सदन के समय में सांय 7.30 बजे तक वृद्धि की घोषणा की)

11.बंदीकरण एवं रिहाई की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151, 107, 116(3) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय सदस्य श्री भोलाराम साहू को दिनांक 28 मार्च, 2016 को समय 14.25 बजे बंदी कर उन्हें अंबागढ़ चौकी रेस्ट हाऊस में रखा गया तथा दिनांक 28 मार्च, 2016 को समय 14.45 बजे निर्मुक्त किया गया।

12. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री चुन्नीलाल साहू(अकलतरा), श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री रामदयाल उइके, राजेन्द्र कुमार राय, दीपक बैज (जारी)

सायं 7.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 2016 (चैत्र - 9, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा